रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274912
CG-DL-E-29072026-274912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 601] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

**सा.का.नि. 663(अ).—** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (…………….संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 62 में, उप-नियम (1) में,

क. मद (खक) के पश्चात्, नया मद (खख) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| (खख) | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण | दो वर्ष |

ख. तालिका में मौजूदा प्रावधान के पश्चात्, मद (21) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

**तालिका**

| क्रम संख्या | मद | मूल उपकरण की सिफारिशों के अनुसार निर्माता या प्रकार की रेटिंग आदि कार्य की जांच | स्थिति की जांच | कार्यप्रणाली की जाँच | परीक्षण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | दो पहियों वाली सड़क एम्बुलेंस में सहायक उपकरण/रोगी यूनिट (इकाई) सुरक्षित रूप से लगाना | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | एम्बुलेंस सहायक इकाई या रोगी परिवहन इकाई को आधार वाहन पर सुरक्षित रूप से लगाया जाना चाहिए। सभी माउंटिंग ब्रैकेट, फास्टनर और संरचनात्मक भागों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि उनमें कोई ढीला बोल्ट, दरार, विकृति या संरचनात्मक क्षति के संकेत न हों जो संचालन के दौरान सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। |
| 23 | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के टायर और रिम (साइड यूनिट सहित) | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | साइड-माउंटेड एम्बुलेंस यूनिट सहित वाहन के टायरों, पहियों और रिमों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अच्छी स्थिति में हैं और उनमें कोई कट, उभार, अत्यधिक घिसाव या क्षति नहीं है। वाहन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टायर सही ढंग से फिट किए गए हों और उनमें पर्याप्त हवा भरी हो। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस आपातकालीन चेतावनी बत्तियाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | वाहन पर लगे आपातकालीन चेतावनी बत्तियों (जैसे बीकन लैंप या फ्लैशिंग लाइट) की उचित कार्यप्रणाली की जाँच की जानी चाहिए। चेतावनी बत्तियाँ सुरक्षित रूप से लगी होनी चाहिए और आपातकालीन स्थिति में वाहन का उपयोग करते समय उन्हें चालू किया जा सकना चाहिए। |
| 25 | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस रोगी स्ट्रेचर | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | रोगी को ले जाने वाला स्ट्रेचर वाहन पर मौजूद होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच की जानी चाहिए कि वह ठीक से लगा हुआ है और सुरक्षित रूप से स्थिर है। स्ट्रेचर में किसी भी प्रकार की क्षति या अस्थिरता के लक्षण नहीं होने चाहिए जिससे रोगी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। |
| 26 | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस स्ट्रेचर लॉकिंग तंत्र | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | स्ट्रेचर के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित रूप से लॉक हो जाता है और रोगी को ले जाते समय स्ट्रेचर की अनचाही हलचल को रोकता है। |
| 27 | दो पहिया सड़क एम्बुलेंस रोगी सुरक्षा प्रणाली | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | स्ट्रेचर पर लगे बेल्ट या पट्टियों सहित रोगी को सुरक्षित रखने की प्रणाली का निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मौजूद हैं, सही सलामत हैं और ठीक से कार्य कर रही हैं। वाहन के चलने के दौरान ये प्रणालियाँ रोगी को सुरक्षित रूप से बांधे रखने में सक्षम होनी चाहिए। |
| 28 | दो पहियों वाली सड़क एम्बुलेंस के लोडिंग / अनलोडिंग तंत्र | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | रोगी को ले जाने वाली स्ट्रेचर की लोडिंग और अनलोडिंग प्रणाली की सुचारू रूप से चलने की जाँच की जानी चाहिए। रोगी को लोड या अनलोड करते समय कोई रुकावट, अत्यधिक बल की आवश्यकता या अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | दो पहियों वाली सड़क एम्बुलेंस अग्निशामक यंत्र | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | वाहन में उपयुक्त प्रकार का अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। निरीक्षण के समय अग्निशामक यंत्र सुरक्षित रूप से लगा होना चाहिए, आसानी से सुलभ होना चाहिए और उसकी वैधता अवधि के भीतर होना चाहिए। |

3. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, परंतुक के पश्चात्, तालिका के पश्चात्, "इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में..." शब्दों से शुरू होने वाला परंतुक और उक्त परंतुक के नीचे की तालिका का लोप किया जाएगा।

**4.** उक्त नियमों में,मूल नियमों के नियम 108 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(8) 1 अक्टूबर 2026 को और उसके पश्चात्, दो पहिया सड़क एम्बुलेंस पर लगे ऊपर की बत्ती समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:209 (भाग 1) - 2026 के अनुसार होंगी।

**5.** उक्त नियमों में, नियम 112 में, उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1 अक्टूबर 2027 को और उसके पश्चात्, एल2 श्रेणी की दो पहिया सड़क एम्बुलेंस समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:209 (भाग 1):2026 के अनुसार होगी।

बशर्ते कि ऐसी दो पहिया सड़क एम्बुलेंस राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्र में चलने के लिए पंजीकृत होनी चाहिए।

**6.** उक्त नियमों में, मौजूदा नियम 125-च के संपूर्ण पाठ के स्थान पर उप-नियम (1) को प्रतिस्थापित किया जाएगा और निम्नलिखित उप-नियम 2 को अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

(2) एल2 श्रेणी की दो पहिया सड़क एम्बुलेंस जो 1 अक्टूबर 2027 को या उसके पश्चात् निर्मित की गई हैं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:209 (भाग 1):2026 के अनुसार होंगी।

बशर्ते कि ऐसी दो पहिया सड़क एम्बुलेंस केवल राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्र में ही चलने के लिए पंजीकृत होगी।

[फा. सं. आरटी-11036/191/2025 -एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.........(अ), दिनांकित ......... द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2026

**G.S.R. 663(E).—** The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

**Draft Rules**

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules),

in rule 62, in sub-rule (1),

a. after item (ba), new item (bb) shall be inserted, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (bb) | Renewal of certificate of fitness in respect of two wheeled road ambulance | Two Years |

b. after the existing proviso, in the table, after item (21), the following items shall be inserted namely:-

**TABLE**

| Sl. No. | Item | Check make or type rating etc., function as per original equipment recommendations | Check conditions | Check functioning | Test | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Two-Wheeled Road Ambulance accessory / patient unit securely mounted | Yes | Yes | Yes | No | The ambulance accessory unit or patient conveyance unit shall be securely mounted to the base vehicle. All mounting brackets, fasteners, and structural members shall be inspected to ensure that there are no loose bolts, cracks, deformation, or signs of structural damage that may affect safety during operation. |
| 23 | Two Wheeled Road Ambulance Tyres & rims (including side unit) | Yes | Yes | No | No | The tyres, wheels and rims of the vehicle, including those of the side-mounted ambulance unit, shall be inspected to ensure that they are in good condition and free from cuts, bulges, excessive wear or damage. The tyres shall be correctly fitted and adequately inflated so as to ensure stability of the vehicle. |
| 24 | Two Wheeled Road Ambulance | Yes | Yes | Yes | No | The emergency warning light(s), such as beacon lamp or flashing light |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emergency warning lights | | | | | provided on the vehicle, shall be checked for proper functioning. The warning lights shall be securely mounted and capable of being operated when the vehicle is used for emergency response. |
| 25 | Two Wheeled Road Ambulance Patient stretcher | Yes | Yes | Yes | No | The patient stretcher shall be present on the vehicle and shall be inspected to ensure that it is properly mounted and securely fixed. The stretcher shall not show signs of damage or instability that could compromise patient safety. |
| 26 | Two Wheeled Road Ambulance Stretcher locking mechanism | Yes | Yes | Yes | No | The locking mechanism of the stretcher shall be checked to ensure that it engages securely and prevents unintended movement of the stretcher during transit of the patient. |
| 27 | Two Wheeled Road Ambulance Patient restraint system | Yes | Yes | Yes | No | The patient restraint system, including belts or straps provided on the stretcher, shall be inspected to ensure that they are present, intact and functional. The restraints shall be capable of securely restraining the patient during vehicle movement. |
| 28 | Two Wheeled Road Ambulance Loading / unloading mechanism | Yes | Yes | Yes | No | The loading and unloading mechanism for the patient stretcher shall be checked for smooth operation. There shall be no jamming, excessive force requirement or instability during loading or unloading of the patient. |
| 29 | Two Wheeled Road Ambulance Fire extinguisher | Yes | Yes | Yes | No | The vehicle shall be equipped with a fire extinguisher of suitable type. The fire extinguisher shall be securely mounted, easily accessible and within its validity period at the time of inspection. |

3. In the said rules, in rule 62, after sub-rule (1), after the proviso, after the table, the proviso starting with the words "Provided further that in case of E-rickshaw and E-cart…" and the table below the said proviso shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 108 of the principal rules, after sub-rule (7), the following new sub-rule shall be inserted, namely:-

(8) On and after 1st October 2026, the top lights fitted on two wheeled road ambulances shall be in accordance with AIS:209 (Part 1) – 2026 as amended from time to time.

5. In the said rules, in rule 112, after sub-rule (9) following new sub-rule shall be inserted, namely:-

On and after 1st October 2027,Two wheeled road ambulance of L2 category shall be in accordance with AIS:209 ( Part 1):2026 as amended from time to time.

Provided that such two wheeled road ambulance shall be registered to ply in an area as decided by the State Government.

6. In the said rules, for entire text under existing rule 125-F, sub rule (1) shall be assigned and following sub-rule 2 shall be inserted, namely:-

(2) Two Wheeled Road Ambulances of L2 categories manufactured on and after 1st October 2027, shall be in accordance with AIS:209 ( Part 1):2026 as amended from time to time.

Provided that such two wheeled road ambulance shall be registered to ply in an area only as decided by the State Government.

[F. No. RT-11036/191/2025 -MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.29 15:50:49 +05'30'